संख्या-144/2015/820/22-4-15-48(28)/13

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-22 जुलाई, 2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, इटावा हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20979/नम-4/195, दिनांक-26 जून, 2015 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या-3/1590/22-4-14-48(28)/13टी0सी0, दिनांक 03 जनवरी, 2015 के क्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, इटावा के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू0 1,83,91,88,000/-(रूपया एक अरब तिरासी करोड़ इक्यानवे लाख अट्ठासी हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 20,00,00,000/- (रूपया बीस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। कार्य की निरन्तरता बनाये रखने तथा मानकीकरण से अप्रभावित निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 25,00,00,000/-(रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागारों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-144/2015/820(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in